प्रस्तुति दिनांक (3)

माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ग्वालियर, कैम्प, इन्दौर

PBR/निगरानी/अलीराजपुर/भू.अ/2018/1410

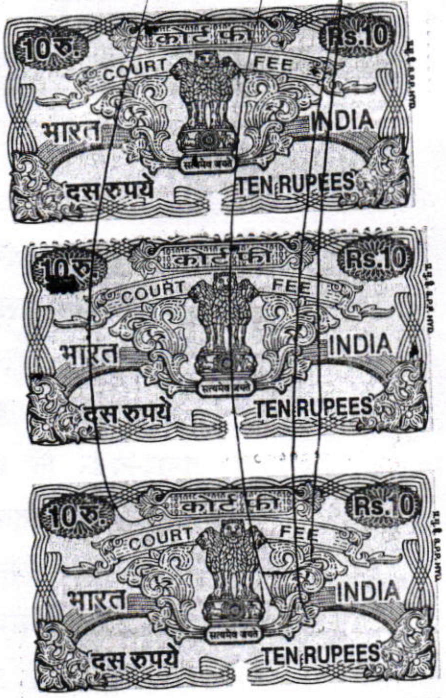

लक्ष्मण पिता मोतीलाल राठौड़

आयु 55 वर्ष पेशा व्यापार निवासी ग्राम छक्ताला

तहसील सोंडवा जिला अलीराजपुर

निगरानीकर्ता/प्रार्थी

आवेदक अभिभाषक श्री सुसमिता बोल्लेकर द्वारा इन्दौर कैम्प में प्रस्तुत। 22/2/18

विरूद्ध

प्रभारी अधिकारी ,भू अभिलेख ,जिला अलीराजपुर म.प्र.

कलेक्टर कार्यालय ,भू अभिलेख जिला अलीराजपुर म.प्र.

प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता,1959

मान्यवर,

यह कि प्रार्थी द्वारा कलेक्टर भू - अभिलेख जिला अलीराजपुर के प्रभारी अधीक्षक द्वारा किये गए सीमांकन आदेश दिनांक 15/11/17 से असंतुष्ट होकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर अलीराजपुर के समक्ष प्रस्तुत कि गई आपत्ति अपील प्रकरण क्रमांक 11 /17– 18 में पारित आदेश दिनांक 15/01/2018 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर उसे अपास्त करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/अलीराजपुर/भू.रा/18/ 1410

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्तागण सुश्री सुश्मिना जोगलेकर द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई अवसर देकर अपील आवेदन अस्वीकार किया है, क्योंकि आवेदक द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथमदृष्टया आलोच्य आदेश में प्रक्रिया अथवा विधि की त्रुटि का संदेह उत्पन्न हो, इसलिये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	